

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 542/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा : एवरेस्ट कॉलोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स शक्ति सिंह एण्ड कम्पनी
जरिये प्रोपराईटर श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री जगत राम उर्फ जगता राम,
2. श्री जगत राम उर्फ जगता राम पुत्र श्री नौरंग राम,
निवासी : प्लॉट नम्बर 92, बंशीपुरी कॉलोनी-प्रथम, जगतपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री गौरव झालानी अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 29.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26-12-2013 को पुनर्मुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री जगत राम उर्फ जगता राम पुत्र श्री नौरंग राम के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 92, बंशीपुरी कॉलोनी-प्रथम, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 216.51 वर्गगज को बन्धक रख कर 19,00,00/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20-06-2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 19,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 18,99,235.85/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.06.2022 को

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अधिनियम की धारा 13 (2) को अंशित किया जा रहा है। अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम का वित्तीय संस्था को कोई लाभ नहीं दिया गया और अधिनियम द्वारा वित्तीय संस्था को बचतमा अर्थ राशि का सुगमता भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बकाया राशि गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बकाया राशि गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा विलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा 14 के प्रारम्भ पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक सपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अधि: The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रारम्भ पत्र स्वीकार कर प्राची वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राची श्री जगत राम डेई जगता राम पुत्र श्री नैरेन राम के स्वामित्व की सम्पत्ति फॉर्न नम्बर 92, बंशीपुरी कॉलोनी-प्रथम, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रक 21351 वर्गफुट का भौतिक रूप से कब्जा प्राची वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (प्राचीन) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राची वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं फायदा रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर